भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1869

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

घरेलू कोयला उत्पादन और आयात के बीच संतुलन

1869. श्री राजेश वर्मा:

श्रीमती शांभवी:

डॉ. लता वानखेड़े:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की वैश्विक ऊर्जा बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू कोयला उत्पादन और आयात के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कोई अद्यतन नीतियां हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले वर्षों की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान कोयला आयात का मात्रावार और स्रोत-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार कोयले की कमी और कीमतों में अस्थिरता को रोकने के लिए बिजली संयंत्रों और उद्योगों को इसकी आपूर्ति में किस प्रकार सहायता कर रही है;

(घ) क्या कोयला क्षेत्र के संचालन को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए कोई नई पहल की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार का ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कोयले के उपयोग से कार्बन फुटप्रिंट को किस प्रकार से धीरे-धीरे कम करने का विचार है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : सरकार ने देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं -

i. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

ii. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 [एमएमडीआर अधिनियम] का अधिनियमन कैप्टिव खान मालिकों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को खान से जुड़े अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक खनिज (कोयले सहित) उत्पादन का 50% तक खुले बाजार में बेचने के लिए सक्षम बनाता है।

iii. कोयला खानों शीघ्र प्रचालन के लिए कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल।

iv. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटियों की सहायता हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का गठन किया गया है।

v. राजस्व शेयरिंग के आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। वाणिज्यिक खनन योजना के तहत, उत्पादन की निर्धारित तारीख से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण अथवा द्रवीकरण (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) पर प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

vi. वाणिज्यिक कोयला खनन की निबंधन और शर्तें बहुत उदार हैं, जिनमें कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध न होना, नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति होना, अग्रिम राशि में कमी करना, मासिक भुगतान के लिए अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों को प्रचालित करने के लिए लचीलेपन को प्रोत्साहित करने हेतु उदार दक्षता मानदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व शेयरिंग मॉडल शामिल हैं।

देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन/आपूर्ति के माध्यम से पूरी की जाती है। सरकार का ध्यान कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और देश में कोयले के गैर-आवश्यक आयात को समाप्त करने पर है। घरेलू स्तर पर उत्पादित कोयले के उपयोग को प्रोत्साहित करने और कोयले के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास निम्नानुसार हैं:

i. वार्षिक संविदात्मक मात्रा (एसीक्यू) को उन मामलों में नियामक आवश्यकता के 100% तक बढ़ाया गया है, जहां एसीक्यू को या तो नियामक आवश्यकता (गैर-तटीय विद्युत संयत्र) के 90% तक कम कर दिया गया था या जहां एसीक्यू को नियामक आवश्यकता (तटीय विद्युत संयंत्र) के 70% तक कम कर दिया गया था। एसीक्यू में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू कोयले की अधिक आपूर्ति होगी जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।

ii. वर्ष 2020 में शुरू की गई गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति में

संशोधन के तहत एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है। एनआरएस लिंकेज नीलामी में 30 वर्ष तक की अवधि के लिए कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि में वृद्धि से कोयला आयात प्रतिस्थापन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की अपेक्षा है।

iii. सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया है कि कोयला कंपनियों द्वारा विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ट्रिगर स्तर और एसीक्यू स्तरों पर विचार किए बिना कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। विद्युत क्षेत्र के लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के सरकार के निर्णय से आयात पर निर्भरता कम होगी।

iv. कोयले की अधिक घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सतत आधार पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार, संपूर्ण प्रतिस्थापन योग्य आयातित कोयले को देश द्वारा पूरा किए जाने की अपेक्षा है और अति आवश्यक के अलावा कोई अन्य आयात नहीं किया जाना चाहिए।

v. एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत मार्च, 2024 में एक नया उप-क्षेत्र 'डब्ल्यूडीओ मार्ग के माध्यम से कोकिंग कोल का उपयोग करके इस्पात' सृजित किया गया है, जिससे घरेलू कोकिंग कोयले की खपत में वृद्धि होगी और देश में वॉश्ड कोकिंग कोयले की उपलब्धता में वृद्धि होगी, जिससे कोकिंग कोल आयात में कमी आएगी।

vi. कोकिंग कोल के आयात को कम करने के लिए इस्पात क्षेत्र को कोकिंग कोल की आपूर्ति बढ़ाने हेतु कोकिंग कोल मिशन शुरू किया गया है। कोकिंग कोल उत्पादन को बढ़ाने के लिए पहलें की गई हैं।

vii. आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्रों को संशोधित शक्ति नीति, 2025 के तहत कोयला प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। इस नीति के अंतर्गत आईसीबी संयंत्रों के लिए कोयले की उपलब्धता से आयातित कोयले पर इन आईसीबी संयंत्रों की निर्भरता कम होने की अपेक्षा है।

viii. मौजूदा ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) धारकों को मौजूदा एफएसए के तहत एसीक्यू कोयले की 100% खरीद के बाद संशोधित शक्ति नीति, 2025 के तहत कोयला प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। मौजूदा एफएसए धारकों को एसीक्यू से अधिक कोयले की उपलब्धता से विद्युत संयंत्रों की पूर्ण आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए विद्युत उत्पादकों को लाभ होगा।

(ख) : मौजूदा वित्त वर्ष (नवंबर, 2025 तक) के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में विश्व के विभिन्न देशों से भारत में आयातित कोयले की मात्रा निम्नानुसार है:

[आंकड़े मिलियन टन में]

भारत में कोयले का देश-वार आयात		
देश	**वित्त वर्ष 2025-26 (नवंबर, 2025 तक)**	**वित्त वर्ष 2024-25 (नवंबर तक, 2024)**
ऑस्ट्रेलिया	24.781	23.477
बहरीन आईएस	0.002	0.003
कनाडा	1.146	1.343
चीन-पीआरपी	0.145	0.263
कोलंबिया	1.259	1.630
हांगकांग	0.342	0.486
इंडोनेशिया	66.331	74.260
मोरक्को	-	0.017
मोज़ाम्बिक	6.284	6.084
नीदरलैंड	-	0.072
न्यूज़ीलैंड	0.200	0.136
ओमान	0.000	0.001
पेरू	0.001	-
फ़िलीपींस	0.073	-
रूस	20.081	15.605
सऊदी अरब	0.008	0.006
सिंगापुर	8.825	7.425
दक्षिण अफ़्रीका	21.103	19.255
श्रीलंका डीएसआर	0.001	-
स्वीडन	0.001	-
स्विट्ज़रलैंड	0.727	1.377
तंजानिया	0.434	0.136
तुर्की	0.002	0.003

यूनाइटेड अरब अमीरात	3.182	2.298
यूएसए	15.335	14.089
वियतनाम सामाजिक गणराज्य	0.023	0.000

(ग): विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति करना एक सतत प्रक्रिया है। कोयला कंपनियों, विद्युत कंपनियों और विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों वाले एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह द्वारा कोयले की आपूर्ति की निरंतर निगरानी की जाती है जो ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से बैठक करता है। उप-समूह समिति की बैठकों में विद्युत संयंत्रों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। आवश्यकता और कोयले के स्टॉक की स्थिति के आधार पर, उप-समूह द्वारा रेकों के आवंटन की सिफारिश की जाती है। उप-समूह आपूर्ति निरंतरता बनाए रखने के लिए रेक के आवंटन और आवाजाही की बारीकी से निगरानी करता है। रेलवे के सहयोग से कोयला कंपनियों और उप-समूह द्वारा की गई लॉजिस्टिक कार्रवाई के माध्यम से, बिजली संयंत्रों को पर्याप्त रेलवे रेक के आवंटन के साथ-साथ कोयला खानों से अपने बिजली संयंत्रों तक तेजी से कोयले की आवाजाही सुनिश्चित होती है, जिससे ट्रांजिट में होने वाला विलंब कम हो जाता है और संयंत्र का स्थिर प्रचालन सुनिश्चित होता है।

(घ): कोयला पीएसयू द्वारा विकसित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का स्तर और वर्ष 2030 की योजना निम्नानुसार हैं:

i. सीआईएल ने वित्त वर्ष 2029-30 तक 9437 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा क्षमता) संस्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से संस्थापित क्षमता 241.79 मेगावाट है।

ii. एनएलसीआईएल ने वर्ष 2030 तक 10,110 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें से चालू की जा चुकी क्षमता 1781 मेगावाट है।

iii. एससीसीएल ने वर्ष 2030 तक 504.50 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा क्षमता) स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें से चालू की जा चुकी क्षमता 245.50 मेगावाट है।

(ङ): सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कोयले के उपयोग से कार्बन फुटप्रिंट में उत्तरोत्तर कमी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं -

i. ताप विद्युत संयंत्रों की दक्षता में सुधार: विद्युत मंत्रालय द्वारा सब-क्रिटिकल तापीय इकाइयों की तुलना में सुपर-क्रिटिकल/अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल तापिय इकाइयों जैसी अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ताप विद्युत संयंत्रों की क्षमता वृद्धि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

ii. ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास को-फायरिंग: विद्युत मंत्रालय ने नवंबर, 2017 में 'कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में को-फायरिंग के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए बायोमास उपयोग' पर एक नीति जारी की थी, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

iii. कार्बन कैप्चर, उपयोग एंड स्टोरेज (सीसीयूएस) विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए उभरते क्षेत्रों में से एक है। विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई एनटीपीसी लिमिटेड ने सीओ2 कैप्चर और उपयोग के लिए दो पायलट परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्बन कैप्चर एंव उपयोग (सीसीयू) परियोजना का अनुमोदन किया गया है, जिसे प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड सांइटिफिक रिसर्च (जेएनसीएएसआर) बैंगलोर के सहयोग से शुरू किया गया है।

*****